एस. एस. गौर कार्यकारी निदेशक (विधि)

डीओ .सं .हडको/आरटीआई-परिपत्र/सीपीआईओ/2009/01597 - 578 /

20/ 21अप्रैल , 2009

सेवा में

हडको क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना
अधिकारी (सीएपीआईओ)

विषय :सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 (आरटीआई अधिनियम) एवं इसके अंतर्गत: बनाए गए नियम हडको के क्षेत्रीय कार्यालयों में सी.ए.पी.आई.ओ . द्वारा आर.टी.आई .अधिनियम ,2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निपटान।

श्री.....

आपके संज्ञान में लाया जाता हैं कि परिपत्र संख्याHUDCO /P&SU/RTIA- 2006दिनांक 18.05. 2006के तहत हडको के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम ,2005 के अंतर्गत केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी(CAPIO) के रूप में नामित किया गया था और अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए थे। हाल ही में यह देखा गया है कि कुछ केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी(सीएपीआईओ) आरटीआई अधिनियम, 2005के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति/निपटान के बारे में अधोहस्ताक्षरी को शीघ्रता से सूचित नहीं कर रहे हैं। इससे न केवल आरटीआई मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने में देरी होती है, जैसा कि वैधानिक रूप से अपेक्षित है, बल्कि रिपोर्ट में वास्तविक विवरण को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति भी पैदा होती है, जिसे हडको द्वारा एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में, अपने प्रशासनिक मंत्रालय को तिमाही आधार पर प्रस्तुत करना होता है, जिसे बदले में केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली (सीआईसी) सहित अन्य संबंधित प्राधिकरणों को अपनी समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, इस संबंध में प्राप्त अनुभव के आधार पर, हडको के क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी सी.ए.पी.आई.ओ (क्षेत्रीय प्रमुख/कार्यकारी निदेशक) द्वारा समान रूप से निम्नलिखित का पालन करने का सुझाव दिया जाता है:

1. आरटीआई आवेदन प्राप्त होने पर कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदक ने लेखा अधिकारी, हडको लिमिटेड के पक्ष में देय बैंक डिमांड ड्राफ्ट या रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर (आईपीओ) के माध्यम से या नकद में 10/- रुपये का अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान किया है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आवेदक द्वारा 10/- रुपये का आवेदन शुल्क गैर-न्यायिक स्टांप पेपर संलग्न

करके या कोर्ट फीस स्टांप या अन्य चिपकने वाले स्टांप लगाकर भुगतान किया जाता है, तो उसे शुल्क का उचित भुगतान नहीं माना जाएगा, और इसलिए ऐसे आवेदन को अमान्य माना जाएगा। इसलिए, ऐसे मामलों में, आपको गैर-न्यायिक स्टांप पेपर, कोर्ट फीस और अन्य चिपकने वाले स्टांप आदि के माध्यम से भुगतान किए गए शुल्क को वापस करते समय आवेदक को तुरंत सूचित करना चाहिए कि वह आवेदन शुल्क का भुगतान पूर्वोक्त अनुसार डिमांड ड्राफ्ट, रेखांकित आईपीओ आदि के माध्यम से करे ताकि आवेदक को उचित आवेदन शुल्क की हडको द्वारा प्राप्ति की तिथि से अपना आवेदन वैध बनाने में सुविधा हो।

यदि शुल्क का भुगतान उचित रूप से नहीं किया गया है, तो आवेदक को उसके आवेदन के बंद होने की सूचना, नीचे हस्ताक्षरकर्ता को पृष्ठांकन के तहत दी जा सकती है।

2. उचित आवेदन शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त होते ही, उसे तुरंत फैक्स संख्या 011-24648428 पर अधोहस्ताक्षरी को फैक्स कर देना चाहिए। इसके बाद, तुरंत और यथाशीघ्र, आपके द्वारा आवेदन को संबंधित/प्रासंगिक बिंदुओं/मदों पर आपकी बिंदुवार टिप्पणियों/प्रस्तुतियों के साथ अग्रेषित किया जाना चाहिए, जो आपके पास विशेष रूप से और/या आंशिक रूप से उपलब्ध सूचना से संबंधित हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह रिटर्निंग ऑफिस में आवेदन प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो जाए। कृपया अपने अग्रेषण पत्र में यह पुष्टि करना महत्वपूर्ण रूप से नोट करें कि उचित आवेदन शुल्क विधिवत प्राप्त हो गया है।

3. हालांकि यह वैधानिक रूप से आवश्यक है कि सभी आरटीआई आवेदनों का उचित उत्तर दिया जाए या आवेदक को वैध आरटीआई आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर स्वीकार्य जानकारी प्रदान की जाए, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप आवेदक को सूचना प्रदान करने और/या अन्यथा के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुपालन के लिए तुरंत कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके अंत में वैध आरटीआई आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 वें दिन तक आवेदक को सूचना प्रदान की जाए। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि यदि सूचना प्रदान करने के लिए ए4 और ए3 आकार के कागजों के प्रति पृष्ठ 2 रुपये और/या आरटीआई अधिनियम की धारा 7(3) के तहत कुछ लागत/फोटोकॉपी शुल्क लिया जाना है, तो आपके द्वारा आवेदक को पत्र लिखने की तारीख से (30 दिनों की उक्त अवधि के भीतर) ऐसे शुल्कों की वास्तविक प्राप्ति की तारीख तक की मध्यवर्ती अवधि को छोड़ दिया जाएगा, यानी ऐसी अवधि को 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं गिना जाएगा। यदि आवेदक को हुडको की संबंधित फाइलों/रिकार्डों के निरीक्षण की भी अनुमति दी जाती है, तो उससे पहले एक (1) घंटे को छोड़कर, निरीक्षण के लिए प्रति घंटे 5 रुपये की दर से अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क लिया जा सकता है।

4. कृपया सुनिश्चित करें कि आवेदक को स्वीकार्य सूचना प्रदान करने वाले पत्र की एक प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता को सकारात्मक रूप से पृष्ठांकित की गई है, ताकि तिमाही रिपोर्ट आदि के प्रयोजनों के लिए इस ओर उचित रिकॉर्डिंग की जा सके। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता को दिए गए उक्त पृष्ठांकन में विशेष रूप से कुल लागत/फोटोकॉपी/निरीक्षण शुल्क के बारे में भी उल्लेख किया गया है, जैसा कि आपने आवेदक से स्वीकार्य सूचना प्रदान करने के लिए प्राप्त किया था, ताकि आगे की रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए इस ओर विधिवत ध्यान दिया जा सके।

5. इसके मद्देनजर तथा आरटीआई आवेदनों की प्राप्ति में लगातार बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, आपको यह सलाह दी जाएगी कि आप उपयुक्त रूप से एक रिकार्ड/रजिस्टर बनाए रखें, ताकि प्रभावी रूप से ट्रैक रखा जा सके तथा सांविधिक रूप से अपेक्षित आरटीआई आवेदनों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे रजिस्टर के विवरण/स्तंभों में, अन्य बातों के साथ-साथ, क्रम संख्या, आवेदक का नाम, आवेदन प्राप्ति की तिथि, क्या आवेदन अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ वैध है, जिस तिथि को आवेदन सीपीआईओ को भेजा गया, सीपीआईओ से उत्तर/आदेश प्राप्त होने की तिथि, आवेदक को लिखे गए पत्र/प्रदान की गई सूचना की तिथि, प्राप्त शुल्क/अतिरिक्त लागत/प्रभार आदि की मात्रा शामिल हो सकती है।

6. हालांकि आरटीआई आवेदनों का निपटान वैधानिक रूप से समयबद्ध है, इसलिए यदि आपको आरटीआई मामलों से निपटने में किसी भी मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/सहायता की आवश्यकता हो तो आप नीचे दिए गए हस्ताक्षरकर्ता से फोन पर संपर्क करने में संकोच न करें ताकि किसी भी प्रकार की देरी न हो। यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि आरटीआई अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार संबंधित अधिकारी/सीएपीआईओ को डिफ़ॉल्ट में सीपीआईओ माना जाएगा और डिफ़ॉल्ट के प्रत्येक मामले में 25,000/- रुपये तक के जुर्माने और/या हडको में सक्षम/अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सीआईसी द्वारा अनुशंसित विभागीय कार्यवाही या दोनों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

7. आपको एक बार फिर सूचना दी जाती है कि आप आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सीआईसी के महत्वपूर्ण/ऐतिहासिक निर्णयों से पूरी तरह अवगत रहें।

शुभकामनाओं सहित,

सादर

एस.एस. गौर
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
हडको